

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)
पीठासीन अधिकारी- श्री नरेश कुमार मालव
आर.ए.एस.

मिसल संख्या: 34/अपील/2018 तारीख दायरा 24.01.2018 तारीख निर्णय 11.05.2018

प्रभू आ0 छोटू जाति मीणा निवासी ग्राम बिजलबा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राजस्थान)

- अपीलांत

- बनाम -

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार नैनवां जिला बून्दी (राज0)

- रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 18.12.2017

तहसीलदार, नैनवां

अन्तर्गत धारा 91 रा0 भू राजस्व अधिनियम

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :-

अपीलांत की ओर से - श्री महावीर मीणा, अभिभाषक।

रेस्पोडेन्ट की ओर से - परोकार सरकार

-: निर्णय :-

यह अपील तहसीलदार, नैनवां द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.12.2017 से अप्रसन्न होकर अपीलान्त ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्त को आराजी खसरा नम्बर 1939 रकबा 05 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम नैनवां द्वितीय तहसील नैनवां का अतिचारी मानते हुये धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत बेदखली, फसल जप्ती, पैनाल्टी 250/- रूपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्त व परोकार सरकार सुनी गयी।


अभिभाषक अपीलांत ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति व विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है एवं आदेश



न्यायसंगत नहीं है। अपीलान्ट को अपने बचाव पक्ष में सुनवायी का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट के विरुद्ध निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। अपीलान्ट ने अतिक्रमण भूमि से कब्जा छोड़ दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपित पैनाल्टी भी जमा करा दी गई है। भविष्य में अपीलान्ट अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं करेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कोई दस्तावेज व साक्ष्य पूर्व में अपीलान्ट को बेदखल करने बाबत् नहीं लिये है। अपीलान्ट भविष्य में अतिक्रमण नहीं करेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 18.12.2017 निरस्त फरमाया जावे।

परोकार-सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट ने राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर दिया गया है। अपीलान्ट को गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया था जिसका विवरण पटवारी बयान व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकन है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है तथा बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्ट ने अतिक्रमण भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है, कब्जा छोड़ने बाबत् कोई साक्ष्य, पटवारी रिपोर्ट आदि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह चरागाह भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण व कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्ट ने अपील में निवेदन किया है कि उसने विवादित भूमि से कब्जा छोड़ दिया है तथा बकाया पैनाल्टी जमा करवा दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कब्जा छोड़ने बाबत् पटवारी रिपोर्ट व अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अपीलान्ट ने यह भी निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट को पश्चातवर्ती प्रमाणित करने के सम्बन्ध में पूर्व निर्णय की व मौके से बेदखल करने की घटना बही की प्रति संलग्न नहीं है, बिना दस्तावेज व साक्ष्य के अपीलान्ट को पश्चातवर्ती नहीं माना जा सकता। अपीलान्ट को बिना पश्चातवर्ती साबित किये सिविल कारावास की सजा से दण्डित नहीं किया जा सकता।



अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गत वर्ष अपीलान्त को बेदखल किये गये निर्णय का अंकन अपीलाधीन निर्णय में है तथा अपीलान्त को गत वर्ष बेदखल किये गये निर्णय की प्रति भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है जिससे अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित होता है तथा अपीलान्त विवादित भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है तथा बहुत अधिक चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्त खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(Handwritten signature)
11/5/18
(नरेश कुमार मालव R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)

अपील विभाग
जिला न्यायालय
बून्दी (राज0)

निर्णय

इस अपील सहयोगी नैयता द्वारा चारित किये गये निर्णय को अपीलान्त को अपीलान्त में अंतर्गत धारा 19 के अन्तर्गत अधिनियम के तहत इस न्यायालय में देखा जा रहा है। अपीलान्त आदेश को तहत अपीलान्त को आदेशी सारा 1939 के तहत 15 वीं किताब परमाणु धारा 1939 के तहत द्वितीय सहायक नैयता को अतिरिक्त मानते हुए धारा 1939 के अन्तर्गत अधिनियम के तहत देखा जा रहा है। अपीलान्त 2007 के अन्तर्गत 30 दिन विहित कालावधि की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील सहयोगी नैयता को अपीलान्त को देखा जा रहा है।

आदेश अधिनियम के अन्तर्गत अपीलान्त में अंतर्गत धारा 1939 के तहत अपीलान्त को देखा जा रहा है। अपीलान्त को देखा जा रहा है।

(Faint handwritten text)